

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

दिनांक : 14-12-2022

क्रमांक : वाद/2022/1517

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. खेताराम पुत्र जोधाराम वगैरा 2
जाति मेघवाल, निवासी लापला
तहसील बायतु (बाड़मेर)


1. जुगताराम पुत्र तेजाराम वगैरा 25
जाति जाट, निवासी लापला
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 384/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - लापला, पटवार मण्डल - कोसरिया तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 753/540 रकबा 3.8832 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालन रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



[Signature]
सह (मनोज) लक्टर (SD)
उपखण्ड अधिकारी बायतु,
दिनांक : 14-12-2022

क्रमांक : वाद/2022/1518-1522

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खेताराम पुत्र जोधाराम वगैरा 2
4. विप्रार्थी श्री जुगताराम पुत्र तेजाराम वगैरा 25
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/नागाणा।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी बायतु,
जिला - बाड़मेर

